ऑन लाईन न. RCMS 2023/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार जाखड़, आर0ए0एस0

ई0सी0एक्ट प्रकरण सं0 02/23

राज्य सरकार जरिये श्री संदीप गौड़, प्रवर्तन अधिकारी पदमपुर

प्रार्थी

बनाम

श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री बीरबलराम जाति मेघवाल निवासी बींझबायला तहसील पदमपुर मैसर्स गणपति सर्विस स्टेशन बींझबायला तहसील पदमपुर।

अप्रार्थी

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्तशुदा सामग्री 11 घरेलू एलपीजी गैंस सिलेण्डर मय एलपयीजी गैंस एवं गैंस रिफिलिंग में काम ली जा रही बिजली चलित एक मोटर को राजसात करने बाबत।

उपस्थित : प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय प्रतिनिधि
अधिवक्ता अप्रार्थी श्री प्रोमिला रेवाड़

निर्णय दिनांक : 12.09.2023

प्रस्तुत प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसील पदमपुर के कस्बे बींझबायला में अवैध गैंस रिफिलिंग की शिकायत राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त होने पर प्रवर्तन अधिकारी का दल दिनांक 23.12.2022 को मैसर्स गणपति सर्विस स्टेशन, बींझबायला पर जांच हेतु पहुंचा। जांच के दौरान मैसर्स गणपति सर्विस स्टेशन पर श्री सुरेन्द्रकुमार पुत्र श्री बीरबलराम जाति मेघवाल निवासी बीझंबायला उपस्थित मिलें। श्री सुरेन्द्र कुमार की उपस्थिति में सर्विस स्टेशन की जांच में पाया कि गणपति सर्विस स्टेशन पर मोटर गाड़ियों को धाने के साथ–साथ अवैध तरीके से घरेलू एलपीजी गैंस को गाडियों में भरने का कार्य भी किया जा रहा है। सर्विस स्टेशन के कमरे की जांच करने पर 11 घरेलू एलपीजी गैंस सिलेण्डर व गैंस रिफिलिंग के लिए काम में ली जाने वाली एक बिजली की मोटर जिसकी दोनों तरफ प्लास्टिक पाईप जुडी हुई है रखे मिले। मौके पर एक मारूति कार अल्टो भी गैंस भरवाने के लिये खड़ी है। श्री सुरेन्द्र कुमार से घरेलू गैंस रिफिलिंग से सम्बन्धित कोई भी अनुज्ञा पत्र या वैध दस्तावेज मौके पर नहीं मिला। अतः श्री सुरेन्द्र कुमार द्वारा सर्विस स्टेशन पर घरेलू एलपीजी गैंस रिफिलिंग का कार्य अवैध रूप से किया जाता है। उक्त सर्विस स्टेशन पर रखे मिले सभी 11 घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों व गैंस रिफिलिंग के लिए काम में ली जाने वाली एक बिजली की मोटर का विवरण अलग से सूची तैयार की गई। सर्विस स्टेशन पर घरेलू एलपीजी गैंस की अवैध रिफिलिंग का कार्य होते पाये जाने के कारण सभी 11 घरेलू एलपीजी गैंस सिलेण्डर मय गैंस व गैंस रिफिलिंग के लिए काम में ली जाने वाली एक बिजली की मोटर मय पाईप रेगुलेटर जरिये फर्द जब्ती जप्त कर मौके पर मैसर्स गोदारा ग्रामीण वितरण बींझबायला के कार्यकर्ता श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री सादुलराम जाति जाट निवासी 31 आर.बी. प्रथम को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका व जब्ती लिखा गया एवं फर्द सुपुर्दगीनामा भी अलग से लिखा गया। मौके पर सुरेन्द्र कुमार ने बताया कि यह सर्विस स्टेशन पर गैंस रिफिलिंग का कार्य मेरे व अनिल

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

कुमार सर्विस स्टेशन मालिक द्वारा सांझे में किया जाता है। उपर्युक्त जांच में यह स्पष्ट है कि श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री बीरबलराम द्वारा अवैध तरीके से मैसर्स गणपति सर्विस स्टेशन पर घरेलू एलपीजी गैंस रिफिलिंग का कृत्य कर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1)(बी)(सी), 4(1)(ए) व 7 (1)(सी) का स्पष्ट उल्लधन किया है। अत : आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौके से सीजशुदा 11 घरेलू एलपीजी गैंस सिलेण्डर मय गैंस रिफिलिंग में काम ली जा रही बिजली चलित एक मोटर को राजसात करने का आदेश फरमावें।

परिवाद प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी पर गलत तथ्यों के आधार पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। अप्रार्थी ने LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1)(बी)(सी), 4(1)(ए) व 7 (1)(सी) का स्पष्ट उल्लधन नहीं किया है। मैसर्स गणपति सर्विस स्टेशन पर मोटर गाड़ियों को धाने का कार्य किया जाता है। किसी प्रकार से एवं अवैध तरीके से घरेलू एलपीजी गैंस को गाड़ियों में भरने का कार्य नहीं किया जाता है। सर्विस स्टेशन के कमरे जो 11 घरेलू एलपीजी गैंस सिलेण्डर पाये गये थे वह गांव से आने वाले परिचित व्यक्तियों के गैस सिलेण्डर थे क्योंकि गांवों में गैस की सप्लाई नहीं होती है। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का अवैध रिफिलिंग का कार्य नहीं किया जाता है। अतः जब्त शुद्वा सभी 11 घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों को प्रार्थी को वापस दिलवाये जावें।

राजकीय पैरोकार की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

राजकीय पैरोकार ने अपने बहस में व्यक्त किया है कि दिनांक 23.12.2022 को मैसर्स गणपति सर्विस स्टेशन, की जांच में पाया कि गणपति सर्विस स्टेशन पर मोटर गाड़ियों को धाने के साथ-साथ अवैध तरीके से घरेलू एलपीजी गैंस को गाड़ियों में भरने का कार्य भी किया जा रहा है। सर्विस स्टेशन के कमरे की जांच करने पर 11 घरेलू एलपीजी गैंस सिलेण्डर व गैंस रिफिलिंग के लिए काम में ली जाने वाली एक बिजली की मौटर जिसकी दोनों तरफ प्लास्टिक पाईप जुड़ी हुई है रखे मिले। मौकें पर एक मारूति कार अल्टो भी गैंस भरवाने के लिये खड़ी है। अप्रार्थी श्री सुरेन्द्र कुमार से घरेलू गैंस रिफिलिंग से सम्बन्धित कोई भी अनुज्ञा पत्र या वैध दस्तावेज मौके पर नहीं मिला। अप्रार्थी सुरेन्द्र कुमार द्वारा सर्विस स्टेशन पर घरेलू एलपीजी गैंस रिफिलिंग का कार्य अवैध रूप से किया जाता है। सर्विस स्टेशन पर घरेलू एलपीजी गैंस की अवैध रिफिलिंग का कार्य होते पाये जाने के कारण सभी 11 घरेलू एलपीजी गैंस सिलेण्डर मय गैंस व गैस रिफिलिंग के लिए काम में ली जाने वाली एक बिजली की मोटर मय पाईप रेगुलेटर जरिये फर्द जब्ती जप्त कर मौके पर मैसर्स गोदारा ग्रामीण वितरण बींझबायला के कार्यकर्ता श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री सादुलराम जाति जाट निवासी 31 आर.बी. प्रथम को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका व जब्ती लिखा गया एवं फर्द सुपुदर्गीनामा भी अलग से लिखा गया। अप्रार्थी श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री बीरबलराम द्वारा अवैध तरीके से मैसर्स गणपति सर्विस स्टेशन पर घरेलू एलपीजी गैंस रिफिलिंग का कृत्य कर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1)(बी)(सी), 4(1)(ए) व 7 (1)(सी) का स्पष्ट उल्लधन किया है। अत : मौके से सीजशुदा 11 घरेलू एलपीजी गैंस सिलेण्डर मय गैंस रिफिलिंग में काम ली जा रही बिजली चलित एक मोटर को राजसात करने का आदेश फरमावें।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि तहसील पदमपुर के कस्बे बींझबायला में अवैध गैंस रिफिलिंग की शिकायत राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त होने पर प्रवर्तन अधिकारी का दल दिनांक 23.12.2022 को मैसर्स गणपति सर्विस स्टेशन, बींझबायला पर जांच हेतु पहुंचे। दिनांक 23.12.2022 को मैसर्स गणपति सर्विस स्टेशन, की जांच में पाया कि गणपति सर्विस स्टेशन पर मोटर गाड़ियों को धाने के साथ- साथ अवैध तरीके से घरेलू एलपीजी गैंस को गाड़ियों में भरने का कार्य भी किया जा रहा है। सर्विस स्टेशन के कमरे की जांच करने पर 11 घरेलू एलपीजी गैंस सिलेण्डर व गैंस रिफिलिंग के लिए काम में ली जाने वाली एक बिजली की मौटर जिसकी दोनों तरफ प्लास्टिक पाईप जुड़ी हुई है रखे मिले। मौकें पर एक मारूति कार अल्टो भी गैंस भरवाने के लिये खड़ी है। अप्रार्थी श्री सुरेन्द्र कुमार से घरेलू गैंस रिफिलिंग से सम्बन्धित कोई भी अनुज्ञा पत्र या वैध दस्तावेज मौके पर नहीं मिला। अप्रार्थी सुरेन्द्र कुमार द्वारा सर्विस स्टेशन पर घरेलू एलपीजी गैंस रिफिलिंग का कार्य अवैध रूप से किया जाता है। सर्विस स्टेशन पर घरेलू एलपीजी गैंस की अवैध रिफिलिंग का कार्य होते पाये जाने के कारण सभी 11 घरेलू एलपीजी गैंस सिलेण्डर मय गैंस व गैस रिफिलिंग के लिए काम में ली जाने वाली एक बिजली की मोटर मय पाईप रेगुलेटर जरिये फर्द जब्ती जप्त कर मौके पर मैसर्स गोदारा ग्रामीण वितरण बींझबायला के कार्यकर्ता श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री सादुलराम जाति जाट निवासी 31 आर.बी. प्रथम को सुपुर्दगी में दिया।

इस प्रकार अप्रार्थी सुरेन्द्र कुमार ने बिना अनुमति/अनुज्ञापत्र के अवैध तरीके से मैसर्स गणपति सर्विस स्टेशन पर घरेलू एलपीजी गैंस रिफिलिंग का कृत्य कर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1)(बी)(सी), 4(1)(ए) व 7 (1)(सी) का स्पष्ट उल्लधन किया है। अत : अप्रार्थी सुरेन्द्र कुमार से मौके से सीजशुदा 11 घरेलू एलपीजी गैंस सिलेण्डर मय गैंस रिफिलिंग में काम ली जा रही बिजली चलित एक मोटर को राजसात किया जाता है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्री गंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
(प्रशासन) श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर